



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 26 राँची, मंगलवार, 7 माघ, 1947 (श०)
27 जनवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2025

संख्या-5/आरोप-1-553/2014 (खण्ड)-33741 (HRMS)--श्री रूपेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-334/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिनियां, गढ़वा के विरुद्ध फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति के खतियान एवं गलत शपथपत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग-1 का जाति प्रमाण-पत्र बनवाकर चतुर्थ जे०पी०एस०सी० परीक्षा के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने तथा मामले की जाँच प्रारंभ किये जाने पर जिला के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से फर्जी पत्र भेजकर विभाग को गुमराह करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय कार्यवही के समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-8916, दिनांक 18.10.2016 द्वारा इन्हें सेवा से बर्खास्त करने हेतु द्वितीय कारण पृच्छा की गयी है।

2. श्री रूपेश कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-7688, दिनांक 04.07.2017 द्वारा पुनः द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी परन्तु श्री रूपेश कुमार द्वारा उत्तर समर्पित न कर पत्र में कहा गया है कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका W.P. (S) No. 6507/2016 दायर की गयी है।

3. विषयगत मामले के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0-924 (HRMS), दिनांक 05.07.2018 द्वारा श्री रूपेश कुमार को निलंबित किया गया है ।

4. W.P.(S) No. 6507/2016 रूपेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2023 को पारित न्यायादेश के द्वारा श्री रूपेश कुमार के विरुद्ध गठित आरोप पत्र एवं श्री रूपेश कुमार को निलंबित करने से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-924 (HRMS), दिनांक 05.07.2018 को निरस्त कर दिया गया। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

".....6. Having heard learned counsel for the parties and from perusal of record, it appears:

(i). that although the departmental proceeding has been initiated with the approval of the State Government, but the Memo of charge has never been approved by the council of the Minister or by the Hon'ble Chief Minister of the State. The judgment of the Hon'ble Apex Court, as noted above, is clear on this point. Further, Rule 17(3) of the Jharkhand Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2016, which covers the field, also clarifies the position that the Memo of charge has to be issued by the appointing authority. Non-approval of the Memo of charge by the appointing authority makes it unauthorized and nullity in the eyes of law. It is settled principle of law that an action can only be taken by an authorized person, who is authorized in law, otherwise, the action itself is without jurisdiction and void ab-initio, Since the present Memo of charge has been issued without the approval of the State Government and as such this Court finds that the Memo of charge-sheet dated 08.07.2015 is not sustainable in the eye of law and accordingly, the same is hereby, quashed and set aside.

(ii). So far as the second issue regarding the cancellation of caste certificate by the Sub-Divisional Officer is concerned, this Court finds that the Circular relied upon by the petitioner is not applicable in the case of the petitioner as because the said Circular covers only for the members belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe. The Caste Scrutiny Committee, which has been constituted, has not been authorized to look into the caste certificate, issued to the members of the other backward class. In the absence of authorization by the circular itself, the reliance upon the said circular by the petitioner is of no use and accordingly, this Court finds no force in the submission of learned counsel for the petitioner and accordingly, the same is, hereby, rejected.

(iii). Since in the present case, the issue involved is the ouster of Sub-Divisional Officer on the strength of Caste Scrutiny Committee constituted vide Circular dated 08.07.2004, has not been accepted by this Court and on this score

the challenge to the order of the Sub-Divisional Officer cancelling the caste certificate, has been rejected by this Court. However, it is clarified that the issue of the caste has not been decided by this Court on merit and it is, hereby, kept open to be decided by the competent authority in accordance with law.

The liberty is reserved with the petitioner to challenge the order of cancellation of the caste certificate in the appropriate proceeding in accordance with law.

(iv). So far as the second show cause is concerned, the evidence has been discussed and the reasons have been assigned by the authority while issuing the second show cause and the same has been supplied along with the second show cause itself. It is settled principle of law that the format has not to be seen rather substance has to be seen. Since in substance the reasons have been shown for differing with the finding recorded by the Enquiry Officer by referring to the evidence available on record and as such this Court finds no illegality in issuance of second show cause notice on the ground of non-assignment of reasons. Accordingly, the contention of the learned counsel for the petitioner on this score is also not tenable.

(v). Since this Court finds that the issuance of Memo of charge itself is unauthorized and as such the entire proceedings from the stage of issuance of the charge-sheet is bad in law and unauthorized and as such the same is hereby, quashed and set aside.

Since the charge-sheet has been quashed and as such the suspension order contained in Memo No. 924 dated 05.07.2018 also stands quashed.

7. With the above observations and directions, the present writ petition stands disposed of.

8. Pending interlocutory application, if any, also stands disposed of."

5. W.P.(S) No. 6507/2016 में पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No.- 33/2024 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम रूपेश कुमार दायर किया गया है। उक्त LPA बाद में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.07.2024 को पारित न्यायादेश के द्वारा नये सिरे से श्री रूपेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही करने की छूट प्रदान की गयी। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"13. The learned Single Judge while disposing of the writ petition has not considered the aforesaid aspect that the State be given a liberty to proceed afresh against the writ petitioner. For the ends of justice and looking into the allegations levelled against the writ petitioner, it would suffice if a direction is given to the respondent-State to proceed in accordance with law after issuance of a fresh charge-sheet.

14. The order of the learned Single Judge is modified to the extent that the appellant-State is at liberty to proceed in the matter at the stage of issuance of fresh memo of charge in accordance with law.

15. This intra-court appeal is partly allowed to the aforesaid extent only."

6. LPA No.- 33/2024 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम रूपेश कुमार में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री रूपेश कुमार के विरुद्ध विभाग स्तर पर नये सिरे से आरोप गठित किया गया है तथा गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-31932(HRMS), दिनांक 15.07.2025 द्वारा श्री रूपेश कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है, जिसका जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

7. श्री रूपेश कुमार की पत्नी श्रीमती नेहा कुमारी के द्वारा दिनांक 28.05.2025 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P.(S) No. 6507/2016 रूपेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 15.07.2023 की पारित न्यायादेश एवं तत्संबंधी LPA No.- 33/2024 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम रूपेश कुमार में दिनांक 18.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही आवेदन में श्रीमती नेहा कुमारी के द्वारा अंकित किया गया है कि वर्तमान में वे गर्भवती हैं। उनके पति काफी सालों से निलंबित हैं। उनके निलंबित रहने के कारण इनकी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक आदि स्थिति काफी दयनीय हो गयी है।

8. श्री रूपेश कुमार की पत्नी श्रीमती नेहा कुमारी द्वारा समर्पित आवेदन एवं झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में संबंधित मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि LPA No.- 33/2024 में पारित न्यायादेश के उपरांत श्री कुमार के विरुद्ध गलत जाति प्रमाण बनवाकर कर नौकरी लेने एवं जाँच प्रारंभ किये जाने के उपरांत जिला के पदाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से पत्र भेजकर विभाग को गुमराह करने से संबंधित आरोप की जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जो विचाराधीन है। श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप काफी गंभीर प्रकृति के हैं। अतएव जाँच पूर्ण होने तक श्री कुमार को निलंबित रखा जाना समीचीन प्रतीत होता है।

9. अतः समीक्षोपरांत, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P. (S) No. 6507/2016 रूपेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 15.07.2023 को पारित न्यायादेश एवं तत्संबंधी LPA No.- 33/2024 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम रूपेश कुमार में दिनांक 18.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नवत् निर्णय लिया जाता है

(क) श्री रूपेश कुमार को निलंबित करने से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-924 (HRMS), दिनांक 05.07.2018 को विलोपित किया जाता है।

(ख) श्री रूपेश कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत दिनांक 05.07.2018 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया जाता है।

(ग) निलंबन अवधि में श्री रुपेश कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया जाता है, जहाँ उन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	RUPESH KUMAR (110083181676)	माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा W.P. (S) No. 6507/2016 रुपेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य नै दिनांक 15.07.2023 को पारित न्यायादेश एवं तत्संबंधी LPA No.-33/2024 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम रुपेश कुमार में दिनांक 18.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नवत् निर्णय लिया जाता है- (क) श्री रुपेश कुमार को निलंबित करने से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या-924 (HRMS), दिनांक 05.07.2018 को विलोपित किया जाता है। (ख) श्री रुपेश कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत दिनांक 05.07.2018 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया जाता है। (ग) निलंबन अवधि में श्री रुपेश कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया जाता है, जहाँ उन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।	05/07/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: 20060400057
